मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-12

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय निर्देश

श्री मुन्ना सिंह, सदस्य द्वारा आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है तथा मंहगी दवाइयों के देयकों का भुगतान नहीं होने से उपचार में दिक्कतें हो रही हैं। इस पर श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष तथा सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ अकील एवं रामलखन शर्मा, सदस्यगण ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से सरकार को निर्देशित किया कि माननीय विधायक के इलाज की उचित व्यवस्था तत्परता से करें। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय के निर्देश का पालन करने का आश्वासन दिया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1656) "रीवा में बिना निविदा आमंत्रित किये आवंटित कार्य" विषय पर चर्चा के दौरान सर्वश्री रामलखन शर्मा, नारायण त्रिपाठी तथा डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्यगण ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 107 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 98 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले की जौरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तिलवाली में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क की हालत जर्जर होने;

(2) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने राज्य परिवहन निगम की बसें बन्द होने के बाद चलने वाली अनुबंधित बसों में यात्रियों को परेशानी एवं अनियमितताएं होने;

(3) श्री किशोर समरीते, सदस्य ने लांजी विधान सभा क्षेत्र में विषैला आहार खाने से एक बच्ची की मृत्यु होने;

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा नये भोपाल में बनाई जा रही रिवेयरा टाउनशिप के मकानों का आधिपत्य समय पर नहीं दिये जाने;

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र के पिपराही स्थित हाई स्कूल का उन्नयन करने तथा

(6) श्री रामदास उईके, सदस्य ने भोपाल के अयोध्या नगर बायपास क्षेत्र की सड़कों की जर्जर हालत के कारण दुर्घटनाएं होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने मन्दसौर जिले के सीतामऊ में एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू" सदस्य की शिवपुरी जिले की राजघाट नहर में पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हो सकी।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री धरमू राय, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सोलहवां एवं सत्रहवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू", राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने मध्यप्रदेश काटन कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

7. वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदन की परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और एक साथ चर्चा होती है। अतः वित्त मंत्री सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दे।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 78 तथा 80 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर बीस सौ सत्तर करोड़, छत्तीस लाख, इकतीस हजार, पांच सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री शंकरलाल तिवारी
(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) श्री गिरीश गौतम
(6) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(7) श्री ताराचंद बावरिया
(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(9) डॉ. गोविन्द सिंह
(10) श्री उमाशंकर गुप्ता

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(11) श्री किशोर समरीते

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक को अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(1) चौधरी चन्द्रभान सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए पांच सौ तेईस करोड़, सैंतीस लाख, पचास हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 20	10

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

(3) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) श्री लाल सिंह आर्य

(6) श्री राजनारायण सिंह पूरनी

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(8) श्री ताराचंद बावरिया

(9) श्री किशोर समरीते

(10) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(11) श्री आरिफ अकील

(12) डॉ. गोविन्द सिंह

(13) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला

चौधरी चन्द्रभान सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या - 14 पशुपालन के लिए दो सौ इकहत्तर करोड़, सत्तानवे लाख, बयालीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 14	6

(श्री आरिफ अकील सदस्य ने पशुपालन विभाग द्वारा गायों तथा गौशालाओ की देखरेख नहीं करने संबंधी बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

सभापति महोदय (श्री लालसिंह आर्य) पीठासीन हुए।

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पूरनी
(2) श्री गिरीश गौतम
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(5) डॉ. गोविन्द सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(6) श्री किशोर समरीते

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008	निर्धारित समय
1. (क्रमांक 4, 19, 25)	सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, उमाशंकर गुप्ता, दुर्गालाल विजय	1 घन्टा
2. (क्रमांक 6)	श्री किशोर समरीते	45 मिनिट
3. (क्रमांक 41)	श्री अशोक सिंह सरस्वार	45 मिनिट

श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(3) कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च,2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 10	वन के लिए सात सौ पच्चीस करोड़, तिरानवे लाख, बीस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण के लिए छः सौ छब्बीस करोड़, दस लाख, पन्द्रह हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए दो हजार इक्यावन करोड़, आठ हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 41	6

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(2) श्री धूल सिंह
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(5) श्री रामलखन शर्मा
(6) श्री राजनारायण सिंह पूरनी
(7) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(8) श्री बाबूलाल महाजन
(9) श्री राजेश यादव

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(10) श्री उमाशंकर गुप्ता
(11) श्री ज्ञान सिंह

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या - 18	श्रम के लिए छप्पन करोड़, इकतालीस लाख, तिहत्तर हजार रूपये
अनुदान संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए सत्तावन करोड़, बहत्तर लाख, अठासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 64	अनुसूचित जाति उप योजना के लिए सोलह सौ ग्यारह करोड़, छब्बीस लाख, अठासी हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 64	4

11. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री से संबंधित विभागों की मांगों पर चर्चा तथा उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

12. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

श्रम मंत्री की मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) डॉ.आई.एम.पी.वर्मा
(6) श्री किशोर समरीते
(7) श्री रघुनाथ सिंह
(8) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(9) श्री लालसिंह आर्य

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया।

सभापति महोदय (श्री लालसिंह आर्य) पीठासीन हुए।

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर पूर्ण किया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.16 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 (फाल्गुन 24, शक संवत 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.